# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमाकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/एम–410/2019/ दिनांक.–

:–आदेश:–

मनेश कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (संविदा) ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11152/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 की पालना में अपना अभ्यावेदन दिनांक 04.06.2018 को प्रस्तुत किया है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However, in no case later than six weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order. With the observations and directions, as indicated above, the writ application stands disposed off.

याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीयां उप स्वास्थ केन्द्र भूणी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुरा, खण्ड कुचामनसिटी, नागौर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर दिनांक 21.03.2001 से नियमित रुप से कार्यरत है एवं संतोषजनक सेवाऐ दे रही है। इतनी लम्बी सेवाअवधि के कार्य के बावजूद स्थाई नही किया गया है समान कार्य, समान वेतन की दृष्टि से काफी न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। अतः मेरी सेवाऐ नियमित की जाकर वेतन लाभ दिया जावें।

याचिकाकर्ता को निदेशालय के आदेश क्रमाक ई–20/म.स्वा.क/00/547–600 दिनांक 29.04.2000 व दिनांक 25.05.2000 के निर्देशों के अनुसरण में अति जिला कलेक्टर, नागौर की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा पर याचिकाकर्ता को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सविदा) के पद पर 3500 रुपये प्रति माह फिक्श राशि पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में इन्हें नियमित किये जाने का कोई उल्लेख नही किया गया है। इन्हें वित्त विभाग के आदेश अनुसार मूल वेतन का 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का निरन्तर लाभ दिया जा रहा है।

विभाग द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नियमित पदो को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर भर्तीयां की गई है:–

1. नर्सिग/सीधी भर्ती–2013/2013/23 दिनांक 26.02.2013 द्वारा 12278 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसके बिन्दु संख्या 8 में चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 यथासशाधित नियमो के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानो के तहत अभ्यर्थीयो को बोनस अंक देय है, का उल्लेख किया गया है।

(i) इन विज्ञाप्ति पदों के लिए सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एव मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (similiar work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नही होगा। विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 5 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये गये।

याचिकाकर्ता द्वारा निदेशालय के विज्ञप्ति नर्सिंग/सीधी भर्ती–2013/2013/23 दिनांक 26.02.2013 के अनुसरण में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु ऑनलाईन (आईडी क्रमाक 6030006298) द्वारा अन्य पिछडा वर्ग में आवेदन किया गया। याचिकाकर्ता के प्राप्तांको के औसत प्रतिशत 59.9689 रहा है का विवरण निम्नानुसार है–

| आईडी क्रमाक | अभ्यर्थी का नाम | वर्ग | दसवीं के प्राप्तांक का प्रतिशत | एएनएम कोर्स के प्राप्ताक का प्रतिशत | दसवी व एएनएम का औसत प्रतिशत | दसवी व एएनएम का औसत 85 प्रतिशत | देय बोनस अक | अतिम प्राप्ताक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6030006298 | मनेश | अन्य पिछडा वर्ग (महिला) | 38 9091 | 63 09 | 52 9046 | 44 9689 | 15 | 59 9689 |

चयन सूची में अन्य पिछडा वर्ग जाति का अंतिम कटऑफ 63.056 प्रतिशत रहा है। जबकि याचिकाकर्ता के प्राप्तांको का औसत प्रतिशत 59.9689 है जो कि चयन के अतिम कटऑफ 63 056 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है।

याचिकाकर्ता को वित्त विभाग के आदेश अनुसार मूल वेतन का 10 प्रतिशत मासिक मानदेय वृद्धि का निरन्तर लाभ दिया जा रहा है।

नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि संविदा पर कार्यरत कर्मियो को राज्य सेवा में नियमित किया जा सके।

अत याचिकाकर्ता द्वारा अपनी सेवाओं को नियमित किये जाने के संबध मे, प्रस्तुत अभ्यावेदन बलहीन/सारहीन होने के कारण अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है। अतः उक्त अभ्यावेदन को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान,जयपुर

क्रमाक..ई–20/म0स्वा0कार्य0/(एम–410)/2019/1308 दिनांक:– 28-6-19

**प्रतिलिपि** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. डॉ विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री मोहन सिह राजावत, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग, मुख्यालय एव प्रभारी अधिकारी केस को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण मे उपरोक्तानुसार जवाब तैयार करवाकर यथाशीघ्र प्रकरण खारिज कराने की कार्यवाही करे।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व का निर्धारण कर प्रस्ताव अविलम्ब निदेशालय को प्रेषित करे।
6. संबधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. मनेष कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (याचिकाकर्ता) को उनके रिट मे उल्लेखित पते पर।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर